*धारणीय कृषि के लिए वित्तपोषण**

श्री स्वामीनाथन जे.

विशिष्ट अतिथिगण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉ. आर.सी. अग्रवाल; कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी के पूर्व अनुसंधान निदेशक डॉ. सुनील गोरंटीवार; सीएबी के प्रधानाचार्य; वित्तीय और शैक्षणिक संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारीगण; आरबीआई के सहकर्मीगण; देवियो और सज्जनो। आप सभी को सुप्रभात।

मुझे आज इस अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन में आप सभी को संबोधित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसका विषय है *"खाद्य सुरक्षा और कृषि आय के लिए सतत वित्तपोषण - अवसर, चुनौतियां और भावी मार्ग"*। आरबीआई की स्थापना के 90वें वर्ष के समारोह के अंग के रूप में यह और भी सुखद है।

जलवायु परिवर्तन और धारणीयता, दो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। हाल के वर्षों में, हमने खराब मौसम की घटनाओं में वृद्धि देखी है, जिसमें प्रचंड सूखा, मूसलाधार वर्षा, बाढ़, भूस्खलन, पीछे की ओर घटती हुई तटरेखा तथा आर्कटिक बर्फ और हिमालय के ग्लेशियरों का खतरनाक रूप से पिघलना शामिल है। दावाग्नि (जंगल की आग) की प्रचंड घटनाएँ बार-बार देखी जाती हैं। विडंबना यह है कि ऐसे संवेदनशील समुदाय जिन्होंने संभवतः जलवायु परिवर्तन में सबसे कम योगदान दिया हो, इसके विनाशकारी प्रभावों का सबसे अधिक खामियाजा भुगत रहे हैं[1]।

इस संदर्भ में, धारणीय कृषि एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभरती है। धारणीय कृषि से तात्पर्य ऐसी कृषि पद्धतियों से है, जो आज की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षित करती हैं। इसका अर्थ है ऐसे तरीके अपनाना जो पर्यावरण की रक्षा करें, रासायनिक निविष्टियों पर निर्भरता कम करें, जल और भूमि का कुशलतापूर्वक उपयोग करें तथा किसानों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करें।

भविष्य में, सभी कृषि-आधारित अर्थव्यवस्थाओं के लिए कृषि धारणीयता प्राप्त करना एक प्रमुख प्राथमिकता होगी। इसमें पारंपरिक कृषि पद्धतियों को प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणालियों में बदलना, कृषि वस्तुओं के प्रसंस्करण और संरक्षण तकनीकों में वृद्धि करना, खेती के स्तर पर मूल्य संवर्धन में योगदान देना शामिल होगा। हमें फसल उत्पादन प्रणालियों को जलवायु-सुदृढ़ कृषि के साथ संरेखित करने की भी आवश्यकता है। साथ ही, इन सभी को बनाए रखने के लिए समय पर पर्याप्त वित्त सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।

भारतीय कृषि क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

भारतीय संदर्भ में, कृषि महज एक आर्थिक गतिविधि नहीं है; यह हमारे देश की खाद्य सुरक्षा और आजीविका का आधार है। यह क्षेत्र हमारी आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोजगार देता है। इतने वृहत महत्व के बावजूद भी, भारतीय कृषि को कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इनमें से कुछ चुनौतियों के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा जो इस क्षेत्र को अपने पूरे सामर्थ्य तक पहुँचने से रोक रही हैं।

कम उत्पादकता

सर्वप्रथम, कई फसल उत्पादक देशों की तुलना में भारत की कृषि उत्पादकता कम है। यह कम उपज - जिसे प्रति इकाई भूमि पर उत्पादित फसल की मात्रा के रूप में मापा जाता है - विभिन्न कारकों के कारण है, जिनमें बीज प्रतिस्थापन[2] की निम्न दर, अप्रभावी उर्वरक उपयोग और उन्नत प्रौद्योगिकियों का सीमित उपयोग शामिल हैं।

लघु एवं सीमांत भूमि जोतों की प्रधानता

दूसरा, लघु और सीमांत भूमि जोतों की अत्यधिक प्रधानता से अपनी अलग चुनौतियां पनपती हैं। यह खंडित भूमि संरचना खेती की व्यवहार्यता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

* 11 सितंबर 2024 को कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. का मुख्य भाषण।

[1] जलवायु परिवर्तन 2023, संश्लेषण रिपोर्ट, जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी)।

[2] बीज प्रतिस्थापन दर, खेत में संरक्षित बीज के अलावा प्रमाणित/गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके मौसम में बोई गई फसल के कुल क्षेत्रफल में से बोए गए क्षेत्रफल का प्रतिशत है।

विपणन-योग्य कम उपज अधिशेष और धारण क्षमता के साथ, छोटे किसानों की सौदेबाजी की शक्ति अक्सर सीमित होती है, उन्हें लेनदेन की उच्च लागतों का सामना करना पड़ता है, और अपनी उपज के विपणन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये कारक नई प्रौद्योगिकियों में निवेश करने या उत्पादकता में सुधार लाने की उनकी क्षमता में बाधा डालते हैं।

मानसून/वर्षा पर निर्भरता

तीसरा, भारत की वर्षा-आधारित कृषि पर अत्यधिक निर्भरता एक और गंभीर चुनौती है। देश की लगभग 45 प्रतिशत कृषि संबंधी भूमि वर्षा पर निर्भर है, जिससे किसान मानसून की अप्रत्याशित प्रकृति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। वर्षा-आधारित खेती पर इस अत्यधिक निर्भरता के कारण कृषि उत्पादन में असंतुलन होता है, जिससे किसानों को गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ता है। असल चुनौती, सिंचाई कवरेज का विस्तार करते हुए मौजूदा जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने में निहित है। अधिक पूर्वानुमानित और स्थिर कृषि उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी जल प्रबंधन, सिंचाई अवसंरचना और जलवायु-सुदृढ़ कृषि पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी।

अपर्याप्त कृषि प्रसंस्करण क्षमता

कृषि के विकास में सीमित प्रसंस्करण, अवसंरचना में महत्वपूर्ण बाधा के रूप में चौथा कारण है। पर्याप्त प्रसंस्करण और संरक्षण सुविधाओं के बिना कृषि उपज का एक बड़ा हिस्सा कटाई के बाद नष्ट हो जाता है, जिससे समग्र आपूर्ति और किसानों की आय कम हो जाती है। निम्न मूल्य संवर्धन का मतलब है कि किसानों को अक्सर उनके कच्चे उत्पाद के लिए कम कीमत मिलती है, जिससे वे प्रसंस्कृत वस्तुओं से होने वाली संभावित आय से वंचित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रसंस्करण क्षमताओं की कमी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों बाजारों तक पहुँच को बाधित करती है, निर्यात के अवसरों को सीमित करती है और वैश्विक स्तर पर भारतीय कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती है।

कृषि मशीनीकरण का निम्न स्तर

पाँचवाँ, भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में कृषि मशीनीकरण का निम्न स्तर एक महत्वपूर्ण बाधा है। खेती के व्यस्ततम मौसम के दौरान मज़दूरों की कमी के साथ-साथ अधिक मज़दूरी की मांग इस समस्या को और बढ़ा देती है, जिससे किसानों के लिए अधिकतम उत्पादन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि को जनसांख्यिकीय चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ किसानों की औसत आयु अब 50.1 वर्ष है, जो इस क्षेत्र में युवा पीढ़ी को आकर्षित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आधुनिक कृषि तकनीकें और बढ़ा हुआ मशीनीकरण न केवल उत्पादकता को बढ़ाएंगे बल्कि महिला सशक्तीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पारंपरिक खेती की शारीरिक/भौतिक माँगों को कम करके, मशीनीकरण और कृषि-प्रसंस्करण महिलाओं के लिए नए अवसर खोल सकते हैं, जिससे वे कृषि उत्पादकता और व्यापक ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव डाल सकेंगी।

कृषि और जलवायु परिवर्तन

जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार करते हैं, तो जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक भार कृषि क्षेत्र पर देखने को मिलता है। आज कृषि, 21वीं सदी की तीन सबसे बड़ी चुनौतियों के संगम पर है – यथा खाद्य और पोषण सुरक्षा को बनाए रखना, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन और न्यूनीकरण तथा जल, ऊर्जा और भूमि जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का सतत उपयोग।

जलवायु परिवर्तन पहले से ही पारंपरिक कृषि पद्धतियों को नया रूप दे रहा है और आज हमारे भोजन विकल्पों को भी प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया की प्रसिद्ध *किमची,* जो पारंपरिक रूप से ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली नापा गोभी से बनाई जाती है, खतरे में है क्योंकि बढ़ते तापमान से गोभी की फसल खराब हो जाती है। इसी तरह, फ्रांसीसी वाइन निर्माता बढ़ती गर्मी के कारण *मेरलो (वाइन)* के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, और अमेरिका के पूर्वी तट से झींगा मछलियों की आबादी शीतल जल-प्रवाहों की ओर रुख कर रही है, जिससे स्थानीय उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। इसका प्रभाव दूरगामी है, जो खेती और खाद्य उद्योग के लिए हरित पद्धतियों को अपनाने और जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण में योगदान देने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है[3]।

[3] एडिट, टी. (6 सितंबर 2024)। किम्ची बाइट्स। टाइम्स ऑफ इंडिया ब्लॉग। https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-editorials/kimchi-bites/(अंतिम बार 8 सितंबर 2024 को एक्सेस किया गया)।

धारणीय कृषि के लिए वित्तपोषण

जबकि धारणीय कृषि पद्धतियाँ आवश्यक हैं, उन्हें लागू करना अक्सर पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक महंगा पड़ता है। जैविक खेती, जलवायु-सुदृढ़ प्रौद्योगिकी और आधुनिक सिंचाई प्रणाली जैसी धारणीय प्रथाएँ शुरू में महंगी लग सकती हैं, लेकिन वे उत्पादकता, सुदृढ़ता और पर्यावरण संरक्षण में सुधार ला कर दीर्घकालिक लाभ प्रदान करती हैं। सुलभ और किफायती वित्तपोषण विकल्पों के बिना, धारणीय कृषि पद्धतियों में अतिआवश्यक बदलाव कई लोगों के लिए सुहावना स्वप्न ही बना रहेगा।

कई किसान, खास तौर पर ग्रामीण या अल्प-सेवित क्षेत्रों में रहने वाले कृषक आर्थिक, संस्थागत और सामाजिक बाधाओं से जूझते हैं, जो उनकी पहुँच को सीमित करते हैं। इसलिए, धारणीय वित्त को न केवल पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय संसाधन उन किसानों को उपलब्ध हों जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जिससे उन्हें साधन, प्रौद्योगिकी और ज्ञान तक समान पहुँच मिल सके।

कृषि के लिए संस्थागत ऋण वर्ष 2023-24[4] के दौरान ₹25.10 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो कृषि विकास को गति देने में वित्तपोषण के महत्व को दर्शाता है। लगभग 7.4 करोड़ सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड[5] समय पर और लचीले ऋण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरे हैं, विशेषकर अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए। हालांकि, ऋण तक पहुंच के लिए क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की स्थिति अभी भी संकटपूर्ण है। अगर हम यह सुनिश्चित कर सकें कि सभी किसानों, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से हों, को समय पर पर्याप्त वित्तपोषण मिल सके, तो हम कृषि में स्थिरता और सुदृढ़ता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे।

कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में उधार देने की पारंपरिक ऋण प्रथाओं की कतिपय सीमाएँ हैं। कृषि संबंधी गतिविधियां स्वाभाविक रूप से मौसमी है, और उपज अक्सर देरी से या कम होती है। किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप और लचीले अभिनव वित्तीय समाधानों की आवश्यकता है। इससे मौसम संबंधी जोखिमों को कवर करने वाले फसल बीमा उत्पादों के साथ मिलकर, किसानों के सामने आने वाली अनिश्चितताओं को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, मिश्रित वित्त मॉडल - जहाँ सार्वजनिक निधियों का उपयोग निजी निवेशों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है - स्थायी बदलावों के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करने में सहायक हो सकता है। इससे न केवल कई स्रोतों से संसाधन जुटाए जाएँगे बल्कि जोखिम और रिटर्न को अधिक समान रूप से वितरित किया जा सकेगा।

इस संदर्भ में, मैं पांच समाधानों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो धारणीय कृषि के वित्तपोषण के मुद्दे को सुलझाने में काफी मददगार हो सकते हैं।

सामूहिक संगठनों की भूमिका

कृषक उत्पादक संगठन या एफपीओ, लघु और सीमांत किसानों के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में उभरे हैं। 31 मार्च 2023 तक 24,000 से अधिक किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के गठन के साथ उनकी वृद्धि उल्लेखनीय रही है[6]।

ये संगठन अनुसंधान संस्थाओं द्वारा विकसित धारणीय कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसानों को एकत्रित करके एफपीओ उनकी सौदेबाजी की शक्ति वर्धित करते हैं और साथ ही प्रौद्योगिकी तक उनकी पहुँच में सुधार लाते हैं और बाज़ार में उनकी उपज के लिए अवसर बढ़ाते हैं।

इन संगठनों के लिए वित्तपोषण का समर्थन करने हेतु, आरबीआई के विनियमों में प्रावधान है कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न एफपीओ के लिए प्रति इकाई ₹2 करोड़ की कुल सीमा तक के ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में योग्य हैं। यदि एफपीओ पूर्व-निर्धारित कीमतों पर अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ खेती में संलग्न हैं, तो ₹5 करोड़ तक के ऋण पीएसएल के रूप में योग्य हैं।

---

[4] नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट – 2023-24; पीपी80।

[5] नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट – 2023-24; पीपी10।

[6] एनएएफपीओ, 2023। भारत में कृषक उत्पादक संगठन: क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट। राष्ट्रीय कृषक उत्पादक संगठन, नई दिल्ली।

मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण

मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण मॉडल विभिन्न हितधारकों - किसानों, एग्रीगेटर्स, व्यापारियों, प्रसंस्करणकर्ताओं और वित्तीय संस्थाओं को एक समन्वित प्रणाली में एकीकृत करता है जो कृषि प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाता है। ब्रांडेड, अच्छी तरह से पैक किए गए, सुरक्षित और स्वस्थ भोजन के प्रति उपभोक्ता की बदलती प्राथमिकताओं के साथ, संरचित कृषि मूल्य श्रृंखलाओं और उनके वित्तपोषण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वित्तीय संस्थाओं के लिए मूल्य श्रृंखला में विभिन्न भागीदारों तक पहुँच, कारोबार संबंधी अतिरिक्त अवसर प्रदान करती है।

गोदाम वित्तपोषण

भारत में कृषि संबंधी मूल्य में उतार-चढ़ाव एक आवर्ती चुनौती है, जो प्रायः किसानों को फसल पकने के दौरान तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं के कारण कम कीमतों पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर करती है। वेयरहाउस रसीद वित्तपोषण के माध्यम से किसान अपने उत्पाद को गोदामों में संग्रहीत करते हैं, और जब तक कि बाजार मूल्य अनुकूल न हो जाएं, तब तक बिक्री नहीं करते हैं। इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान, किसान बैंकों से पण्य वित्तपोषण के माध्यम से अति-आवश्यक निधियाँ प्राप्त कर सकते हैं। वित्तपोषण का यह रूप कृषि वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने में सहायता करता है, किसानों को विपणन जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद करता है, और वहीं बैंकों को विविधतापूर्ण वित्तपोषण के अवसर प्रदान करता है। हालांकि, इस तरह के कारोबार के फलने-फूलने के लिए, देश को और भी सुदृढ़ तृतीय-पक्ष वेयरहाउसिंग एजेंसियों की आवश्यकता है।

प्रौद्योगिकी अंगीकरण के लिए वित्तपोषण

कृषि में प्रौद्योगिकी अपनाने से उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा मिलने की अपार संभावनाएं हैं। सिंचाई अवसंरचना के विस्तार, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देने और कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहित करने से कृषि आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है और दक्षता में सुधार आ सकता है। वर्तमान में, भारत में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत केवल 12.54 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है, यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 9 प्रतिशत[7], जो विस्तार की बड़ी संभावना को दर्शाता है। "प्रति बूंद अधिक फसल" जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ अभिसरण, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह को बढ़ा सकता है।

संरक्षित खेती, जो प्रति इकाई क्षेत्र में फसल की पैदावार को 5 से 8 गुना तक बढ़ा सकती है, यह जल पर 50 प्रतिशत तथा उर्वरकों और कीटनाशकों पर 25 प्रतिशत की बचत जैसे पर्याप्त लाभ भी प्रदान करती है। संरक्षित खेती के अंतर्गत केवल 3 लाख हेक्टेयर भूमि होने के कारण, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके इस प्रथा को विस्तारित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है जो जलवायु परिस्थितियों के बावजूद पूरे वर्ष के दौरान अधिक मूल्य वाली फसलों की खेती को सक्षम बनाता है।

सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से पूंजी निर्माण

भारत सरकार पूंजी सब्सिडी योजनाओं और ब्याज सहायता के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देकर कृषि में पूंजी निर्माण को बढ़ावा दे रही है। कृषि-अवसंरचना कोष (₹1 लाख करोड़), सौर पंपों के लिए पीएम-कुसुम, कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) और बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) जैसी योजनाओं के साथ संस्थागत ऋण का समर्थन करता है। कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) जैसी अन्य पहलें तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई), पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसे कार्यक्रम कृषि विकास को और बढ़ाते हैं। इन योजनाओं के साथ संस्थागत ऋण को जोड़ने से आधुनिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

प्रौद्योगिकी और डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि वित्तपोषण मॉडल को बेहतर बना सकती है। वित्तीय संस्थानों को ऋण तक पहुँच में सुधार करने और जोखिमों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए। फसल की पैदावार, मौसम के पैटर्न और मिट्टी के स्वास्थ्य को ट्रैक करने वाले डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ सहयोग, वास्तविक समय का डेटा प्रदान कर सकता है जिसका उपयोग वित्तीय संस्थाएं जोखिम का अधिक सटीक आकलन लगाने के लिए कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म उनके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए, किसानों को अधिक सूचित निर्णय लेने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

[7] कृषि सांख्यिकी एक दृष्टि में, 2022।

आरबीआई ने सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतिगत पहलों के अलावा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सुविधाजनक बनाने और संस्थागत व्यवस्था बनाने के लिए कई पहलें की हैं। पिछले वर्ष, आरबीआई ने आरबीआई नवोन्मेष केंद्र (इनोवेशन हब) के माध्यम से पब्लिक टेक प्लेटफ़ॉर्म पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य ऋणदाताओं को डिजिटल जानकारी के निर्बाध प्रवाह को सक्षम करके निर्बाध ऋण प्रदान करना था। यह खुला, प्लग-एंड-प्ले डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, जिसे अब यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस नाम दिया गया है, वित्तीय क्षेत्र के भागीदारों को आसानी से कनेक्ट करने देता है। हाल ही में, नाबार्ड ने आरबीआई इनोवेशन हब के साथ मिलकर ई-केसीसी लोन ऑरिजिनेटर सिस्टम को प्लेटफ़ॉर्म में एकीकृत किया, जिससे कृषि ऋणों के लिए निस्तारण समय हफ्तों से मिनटों में तब्दील हो गया।

भावी मार्ग

निष्कर्ष में, चुनौतियाँ बहुत-सी हैं, लेकिन अवसर भी उतने ही अधिक हैं। आगे चल कर दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए: धारणीय कृषि को बढ़ावा देना और इसके लिए पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करना। संस्थागत ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन क्षेत्रीय असमानताएँ बनी हुई हैं। मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण और गोदाम वित्तपोषण संभाव्यतायुक्त समाधान प्रदान करते हैं, जबकि कृषि अवसंरचना कोष, पीएमएफएमई और एएचआईडीएफ जैसी सरकारी पहलें, कृषि विकास को बढ़ावा देने में मदद कर रही हैं। भारतीय कृषि के लिए एक अधिक धारणीय और सुदृढ़ भविष्य हेतु क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, ऋण तक पहुँच को और बढ़ाने और मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण को एकीकृत करने पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।

मुझे आशा है कि यह सम्मेलन शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भारतीय कृषि क्षेत्र के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर गहनतापूर्वक विचार करने, जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों की पृष्ठभूमि में इसका विश्लेषण करने तथा वैकल्पिक समाधान, दृष्टिकोण और नीति सुझाव देने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करेगा।

इसके साथ ही, मैं अगले दो दिनों में उपयोगी आदान-प्रदान के लिए अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं ताकि ऐसे समाधान तलाशे जा सकें जो धारणीय कृषि और इसके वित्तपोषण के भविष्य को आकार दे सकें।

धन्यवाद।